राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

राज्य सरकार बनाम ग्राम जाजोता का ख0न0 316

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 136/24 **निर्णय दिनांक–5-02-2026**
जी.सी.एम.एम. संख्या–2024/225

तहसीलदार रूपनगढ़ से अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाजोता के ख0न0 316 किस्म गै0मु0रास्ता की आकृति पूर्व नक्शा लट्ठा संवत् 2027 व नक्शा एकीकरण सन् 1958 में अंकित आकृति में भिन्नता है।ग्राम जाजोता का सिवायचक ख0न0 316 की भूमि का कुछ भाग खातेदारी ख0न0 318(गै.मु.चाह) में जुड़ा हुआ है। प्रकरण में हल्का पटवारी ने मय नजरी नक्शा पूर्ववत व वर्तमान अनुसार सही किये जाने हेतु रिपोर्ट पेश की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रभावित खातेदारान को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 2 खीवा की ओर से अधिवक्ता ने प्रकरण में जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में पैरोकार सरकार व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण के अवलोकन अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में वर्णित ग्राम जाजोता के ख0न0 316 का तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दर्शित नजरी नक्शें अनुसार नक्शा शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दर्शाया गया नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)